डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 08/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 115, 116, 117 और 118 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-कालीकट/सीपी-II/2026-27

परामर्श पत्र संख्या 08/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीआईए) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 – 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 12 अक्टूबर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

हितधारकों की टिप्पणियाँ

कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ('कालीकट एयरपोर्ट' या सीआईए) का स्वामित्व भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) के पास है और प्रचालन भी इसी के द्वारा किया जाता है। यह हवाईअड्डा केरलम के मलप्पुरम जिले के करिपुर में स्थित है और राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। एएआई द्वारा प्रकाशित यातायात आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हवाई अड्डे ने अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों सहित 3.86 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) का आवागमन संभाला।

ऐरा अधिनियम, 2008 और ऐरा टैरिफ दिशानिर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्राधिकरण को चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया है। एमवाईटीपी में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि का टू-अप;

(ii) 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अनुमान।

प्रस्तुतियों में यातायात अनुमानों, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), प्रचालन व्यय (ओपेक्स), गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संगत मापदंडों से संबंधित विस्तृत जानकारी शामिल हैं, जो चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारण का आधार बनती हैं।

प्राधिकरण ने ऐरा अधिनियम, 2008 और टैरिफ दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार ऐरा के विनियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) पर प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह परामर्श पत्र जारी किया है।

इस परामर्श पत्र को तैयार करते समय, प्राधिकरण ने एएआई द्वारा प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी की प्रस्तुतियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच की। इस मूल्यांकन में तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों की जांच शामिल थी।

तदनुसार, प्राधिकरण ने कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, करिपुर के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण इसमें निहित प्रस्तावों पर हितधारकों से प्राप्त लिखित, साक्ष्य-आधारित टिप्पणियों, सुझावों और फीड-बैक पर विधिवत विचार करेगा और हितधारकों की प्रस्तुतियों के उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर ज़ोर देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा निश्चित है और इसका पूर्णत: पालन करना जरूरी है। अत: हितधारकों से अनुरोध है कि वे अनिवार्यत: इस परामर्श -पत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपनी टिप्पणियां और इन-पुट प्रस्तुत करें। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 12 अक्तूबर, 2026 के **परामर्श पत्र संख्या 08/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत

ईमेल: director-ps@aera.gov.in, dirps-2@aera.gov.in satish.kr@aera.gov.in , lakshmi.2025@aera.gov.in
प्रतिलिपि: secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक :	**27 अक्तूबर, 2026**
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**10 अक्तूबर, 2026**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**20 अक्तूबर, 2026**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट **www.aera.gov.in** पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15. हितधारक परामर्श के लिए प्रस्तुत प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि का टू-अप

4.12.1 कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

4.12.2 तालिका 12 में दिए गए विवरण के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.12.3 तालिका 15 में उल्लेख किए अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.12.4 तालिका 18 के अनुसार आरएबी को मानना।

4.12.5 पैरा 4.5.3 के अनुसार 14% एफआरओआर को मानना।

4.12.6 तालिका 21 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-विमानिक राजस्व को मानना।

4.12.7 तालिका 27 में दिए गए विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।

4.12.8 तालिका 33 में दिए गए विवरण के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

4.12.9 तालिका 30 में दिए गए विवरण के अनुसार कराधान को मानना।

4.12.10 तालिका 37 के अनुसार वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.11 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 38 में दिए गए विवरण के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में तृतीय नियंत्रण अवधि की कमी को समायोजित करना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 तालिका 42 के अनुसार कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम को मानना।

5.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टू-अप करना।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (केपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.5.1 तालिका 47 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अपनाना।

6.5.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ़ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को टू-अप करना।

6.5.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अलावा, यदि परियोजना को पूरा करने में देरी एएआई या उसकी संविदा एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से होती है और यदि प्राधिकरण को उचित लगता है तो पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण की वास्तविक लागत को टू-अप करते समय प्राधिकरण द्वारा इसे ध्यान में रखा जाएगा।

6.5.4 तालिका 49 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना ।

6.5.5 पंचम नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक संपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.5.6 तालिका 51 के अनुसार कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानना।

6.5.7 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के संबंध में तालिका 52 के अनुसार 11.75% एफआरओआर को मानना

अध्याय 8: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति

8.3.1 कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 53 में दिए गए विवरण के अनुसार मुद्रास्फीति को मानना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्च

9.3.1 कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 57 के अनुसार प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना ।

9.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, औचित्य और दक्षता की शर्त पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

10.3.1 कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 60 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, एएआई द्वारा कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अर्जित गैर- वैमानिक राजस्व को उच्चतर साइड अर्थात वास्तविक आंकड़ों के आधार पर या टैरिफ आदेश के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, जो भी अधिक हो, के टू-अप को मानना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 तालिका 63 के अनुसार कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वैमानिक कर को उचित रूप से टू-अप करना।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

12.3.1 प्राधिकरण तालिका 65 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानने का प्रस्ताव करता है।

अध्याय 13: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

अध्याय 14: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 कालीकट हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 68 के अनुसार एआरआर और मुनाफे को मानना।

14.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को टू-अप करना।

16. हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15 – प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियां और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 10 नवंबर, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
उड़ान भवन, तृतीय तल, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003
टेलीफोन: 011-24695044-47
फैक्स: 011-24695048

(अध्यक्ष)